(182)

न्यायालय मध्यप्रदेश-राजस्व-मंडल—ग्वालियर, केम्प-कोर्ट, जबलपुर

R-4061/II/13

गोविंदसिंह आ. अमरसिंह लोधी, पेशा—काश्तकारी

निवासी—ग्राम चांदनखेड़ा तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
स्तुतकर्ता 21.32
11 OCT 2013
आशुलिपिक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

................आवेदक / अपीलार्थी / अनावेदक

विरूद्ध

नीलेश कुमार नाबालिग वल्द मालकसिंह

वली नाना गोपालसिंह पिता खूबसिंह

निवासी—ग्राम चांदनखेड़ा, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर

(287)

2. मालकसिंह पिता प्रेमसिंह

निवासी—ग्राम ठेमी, तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर

...............अनावेदक / उत्तरवादी / आवेदकगण

निगरानी आवेदन—पत्र अंतर्गत धारा—50 म.प्र.भू—रा.सं. 1959 तरफ से आवेदक- / अपीलार्थी / अनावेदक

आवेदक / अपीलार्थी / अनावेदक, श्रीमान् एन.एस. भटनागर जी, एडिशनल-कमिश्नर महोदय, जबलपुर-संभाग, जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.06.2013 बमुकदमा—द्वितीय अपील प्रकरण कं. 470 / अ—70 / 09—10 मौजा चांदनखेड़ा नं.ब. 166, प.ह.नं. 28, तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर, पक्षकारान—गोविंदसिंह लोधी—अपीलार्थी / आवेदक विरूद्ध नीलेश कुमार बगैरह—उत्तरवादी / आवेदकगण, जो अपील श्रीमान् अनुविभागीय-अधिकारी महोदय (प्रथम-अपीलीय-न्यायालय) गोटेगांव द्वारा बमुकदमा रा.अ.प्र.कं. 27अ / 70 / 07—08 में पारित आदेश दिनांक 02.06.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी थी व उक्त प्रथम अपील मूल राजस्व-प्रकरण कं. 3 / अ—70 वर्ष 2002—03 मौजा चांदनखेड़ा तहसील गोटेगांव पक्षकारान—नीलेश कुमार बगैरह—आवेदकगण विरूद्ध गोविदसिंह लोधी—अनावेदक, निर्णय दिनांक 15.05.2008 से उत्पन्न हुई रही, उक्त द्वितीय-अपील के आदेश से परिवेदित होकर, यह निगरानी आवेदन-पत्र निम्न तथ्यों व अनेको में से निम्न आधारों पर प्रस्तुत करता है :—

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4061—एक / 13 जिला — नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25—5—16	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता दिनांक 22—12—15 को उपस्थित थे किंतु उसके बाद लगातार अनुपस्थित हैं । आवेदक को उक्त दिनांक के बाद कई बार सूचना पत्र जारी किया गया किंतु फिर भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को आगे चलाने में कोई रूचि नहीं है । अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	